प्रभुराम बनाम श्रवणराम वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2018

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस. **मुकदमा नं. 08/2018**

प्रार्थीगण :–

1. प्रभुराम पुत्र सांवताराम
2. हरिसिंह पुत्र प्रभुराम जाति–जाट (ओगरा), निवासी–शिवनगर (रोहिणा), तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रवणराम पुत्र मोहनराम जाति नायक नि. शिवनगर
2. रेवन्तराम पुत्र बक्साराम जाति नायक नि. शिवनगर
3. भंवरलाल पुत्र श्री भैरूराम
4. कन्हैयालाल पुत्र श्री भैरूराम
5. रतनलाल पुत्र भैरूराम जाति–नाई निवासी–रोहिणा, तहसील–जायल (नागौर)
6. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा छोटीखाटू (नागौर)
7. तहसीलदार जायल
8. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक कसनाऊ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी, मुकेश कुमार बिड़ीयासर प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ अप्रार्थीगण 1 से 3 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 7 उपस्थित।

दिनांक – 30/03/2021

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 420 रकबा 20 बीघा मौजा शिवनगर तहसील जायल में स्थित है जिसमें रहवासी ढाणी, ट्यूबवेल बने हुये है। उक्त खेत के लिए आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं. 1009/410 की खातेदारी अप्रार्थी भंवरलाल, कन्हैयालाल, रतनलाल, के नाम खसरा नं. 417 की खातेदारी अप्रार्थी रेवंतराम तथा खसरा नं. 1058/418 अप्रार्थी श्रवणराम

30/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

के नाम दर्ज है कि पूर्वी माठ से होते हुये खसरा नं. 1009/410 के उतरी तरफ कटाणी रास्ता ग्राम सिलारिया से पिण्डिया तक जाता है।

प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 420 तक जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नहीं होने से रास्ते हेतु प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 166/2013 अनुवान प्रभुराम बनाम रेवन्तराम वगैरह न्यायालय हाजा में पेश किया था। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में परिर्वतन के चलते खारिज किया गया। पूर्व में प्रार्थना पत्र में जहां से रास्ता की मांग की गई थी उस खसरा की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था परन्तु अब उक्त खसरान के खातेदार द्वारा स्थिति में परिवर्तन कर दिया जिससे खसरा नं. 410 के खसरा नं. 1009/410 एवं खसरा नं. 418 के खसरा नं. 1051/418 व 1059/418 बना दिये। प्रार्थी को जब इस संबंध में पता चला तो प्रार्थी अधिवक्ता को नये पक्षकारान् संयोजित किये जाने बाबत् राहत नहीं दी गई। पूर्व में प्रस्तावित किये रास्ते में हर सप्ताह, हर माह परिवर्तन किये जाने से तथा पूर्व में मांगे गये रास्ते को अप्रार्थी द्वारा बंद कर दिये जाने से प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने तथा प्रस्तावित निकटतम रास्ता मार्क ए–बी 10 फीट चौड़ाई के रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पेश पर निवेदन है कि प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी, 10 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल दिनांक 07.07.2020 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 व 8 के सम्मन बावजूद तामील सूचना के प्राप्त होने पर गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू.अ./2020/1657 दिनांक 07.07.2020 के प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता लाल स्याही से डोटेड मार्क ए से बी मौजूद होना बताया है। इसी प्रकार प्राथी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का होना तथा इन खसरो में मौके पर काश्त की हुई बताई।

तहसीलदार जायल ने आगे रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ता के उपभोग में आने वाली भूमि का तकमीना में दर्शाया है,

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल.जिला.नागौर

Scanned with CamScanner

जो मौका रिपोर्ट के संलग्न है। अन्त में तहसीलदार जायल ने रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए वर्तमान डी.एल.सी दर 38599 रू. प्रति बीघा अपनी मौका रिपोर्ट बताई है।

अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 के अधिवक्ता ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होना तथा अस्वीकार किया तथा अंकित किया कि प्रार्थी खेत खसरा नं. 420 का पूर्ण खातेदार नहीं है, बल्कि खातेदार झूमरराम के बंट का उक्त खेत खसरा नं. 420 मौजा शिवनगर है अप्रार्थी श्रवणराम के दक्षिण में चिपता खेत झूमरराम के कब्जे काश्त का है। प्रार्थी ने पूर्व में धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 166/2013 पेश किया था जो वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होने से खारिज किया गया था। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसके कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार का नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 1009/410, 417, 1058/418 की पूर्वी माठ पर न तो कभी था ना ही रास्ता रहा है, जबकि खसरा नं. 1009/410, 417, 1057/418, 1059/418 व 418 की पश्चिमी माठ पर से होकर कदीमी रास्ता विभिन्न खेतो में जाने का रहा है, जिसे प्रार्थी द्वारा अवरूद्ध कर दिया है। अतः प्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नं. 420 के लिए रास्ता दक्षिणी–पश्चिमी तरफ के खेतो से होकर गांव शिवनगर की कांकड़ माठ तक बिना किसी बाधा व रूकावट के चल रहा है को प्रार्थी ने अवरूद्ध कर विभिन्न काश्तकारों के खेताय में आवागमन रोक दिया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आगे मजीद आपत्ति में बताया कि प्रार्थी श्रवणराम के खेत में आवागमन का कोई कटाणी रास्ता नहीं है, परन्तु खसरा नं 418 की पश्चिमी माठ पर से होकर कदीमी रास्ता होने से श्रवणराम, धनाराम व शंकरराम पिता मोहनराम ने खेतो के विभाजन के समय खसरा नं. 1058/418 की भूमि अप्रार्थी श्रवणराम के नाम विभाजन में रखते हुये आवागमन के लिए खसरा नं. 418 की पश्चिमी माठ पर स्थित कदमी रास्ते से 0.15 बीघा भूमि रास्ता के रूप में अप्रार्थी श्रवणराम, व उसके दीगर भाई के नाम दर्ज कराई, जिसका उपभोग धनाराम, शंकरराम के वारिसान व अप्रार्थी श्रवणराम द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 420 के पश्चिमी दिशा में कदीमी रास्ता जो कि अन्य खातेदारान के खेत में भी जाता है तथा वर्तमान में चल रहा है जिसे प्रार्थी स्वयं द्वारा ही अवरूद्ध किया गया है। जिससे प्रार्थी को रास्ते का अभाव नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है, जिसमें भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

था अप्रार्थीगण को सूचित किया जाना होता है। मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के दिनांक 07.07.2020 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना जवाब/आपत्तिया प्रस्तुत कर दी है। शेष बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण हाजा वर्ष 2018 से लम्बित होने के वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई तथा बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 420 रकबा 20 बीघा मौजा शिवनगर तहसील जायल में स्थित है जिसमें रहवासी ढाणी, ट्यूबवेल बने हुये है। उक्त खेत के लिए आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं. 1009/410 की खातेदारी अप्रार्थी भंवरलाल, कन्हैयालाल, रतनलाल, के नाम खसरा नं. 417 की खातेदारी अप्रार्थी रेवंतराम तथा खसरा नं. 1058/418 अप्रार्थी श्रवणराम के नाम दर्ज है कि पूर्वी माठ से होते हुये खसरा नं. 1009/410 के उतरी तरफ कटाणी रास्ता ग्राम सिलारिया से पिण्डिया तक जाता है।

इसी संबंध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 166/2013 अनुवान प्रभुराम बनाम रेवन्तराम वगैरह न्यायालय हाजा में पेश किया था। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में परिर्वतन के चलते खारिज किया गया था। अब उक्त खसरान के खातेदार द्वारा स्थिति में परिवर्तन कर दिया जिससे खसरा नं. 410 के खसरा नं. 1009/410 एवं खसरा नं. 418 के खसरा नं. 1051/418 व 1059/418 बना दिये। प्रार्थी को जब इस संबंध में पता चला तो प्रार्थी अधिवक्ता को नये पक्षकारान् संयोजित किये जाने बाबत् राहत नहीं दी गई। पूर्व में प्रस्तावित किये रास्ते में हर सप्ताह, हर माह परिवर्तन किये जाने से तथा पूर्व में मांगे गये रास्ते को अप्रार्थी द्वारा बंद कर दिये जाने से प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने तथा प्रस्तावित निकटतम रास्ता मार्क ए–बी 10 फीट चौड़ाई के रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पेश पर निवेदन है कि प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण के खेताय में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी, 10 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 ने प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 166/2013 पेश किया था जो वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होने से खारिज किया गया था। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसके कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार का नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 1009/410, 417, 1058/418 की पूर्वी माठ पर न तो कभी था ना ही रास्ता रहा है, जबकि खसरा नं. 1009/410, 417, 1057/418, 1059/418 व 418 की पश्चिमी माठ पर से होकर कदीमी रास्ता विभिन्न खेतो में जाने का रहा है, जिसे प्रार्थी द्वारा अवरूद्ध कर दिया है।

वकील अप्रार्थी संख्या ने बहस में बताया कि प्रार्थी श्रवणराम के खेत में आवागमन का कोई कटाणी रास्ता नहीं है, परन्तु खसरा नं 418 की पश्चिमी माठ पर से होकर कदीमी रास्ता होने से श्रवणराम, धनाराम व शंकरराम पिता मोहनराम ने खेतो के विभाजन के समय खसरा नं. 1058/418 की भूमि अप्रार्थी श्रवणराम के नाम विभाजन में रखते हुये आवागमन के लिए खसरा नं. 418 की पश्चिमी माठ पर स्थित कदमी रास्ते से 0.15 बीघा भूमि रास्ता के रूप में अप्रार्थी श्रवणराम, व उसके दीगर भाई के नाम दर्ज कराई, जिसका उपभोग धनाराम, शंकरराम के वारिसान व अप्रार्थी श्रवणराम द्वारा किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 420 के पश्चिमी दिशा में कदीमी रास्ता जो कि अन्य खातेदारान के खेत में भी जाता है तथा वर्तमान में चल रहा है जिसे प्रार्थी स्वयं द्वारा ही अवरूद्ध किया गया है। जिससे प्रार्थी को रास्ते का अभाव नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 420 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1009/410, 417, 1058/418 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, जो कि मौका रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम दूरी है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में कटाणी रास्ता 408 से मार्क ए से बी अर्थात खसरा नं. 1009/410, 417, 1057/418, 1059/418 व खसरा नं. 418 में से वैकल्पिक रास्ता होना अंकित किया है, जो कि अप्रार्थी के कथनानुसार अन्य खातेदार कृषको द्वारा भी उपभोग में लिया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्राप्त मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 420 में आने जाने के लिए खेत खसरा नं. 1009/410, 417, 1057/418, 1059/418 व खसरा नं. 418 में से आवागमन हेतु मार्क ए–बी कदीमी रास्ते के रूप में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। साथ ही वकील मौका रिपोर्ट में वर्णित कदीमी रास्ते को कटाण घोषित किये जाने के संबंध में अन्य प्रार्थना पत्र 26/2020 विचाराधीन है जिसमें निर्णय पारित हो जाने पर प्रार्थी को भी कटाणी रास्ते का लाभ स्वतः उपलब्ध हो जायेगा। अतः प्रकरण हाजा में प्रार्थी को खेत खसरा नं. 420 के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव नहीं पाया जाता है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध कर पाने में असफल होने पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवनगर रोहिणा तहसील–जायल के खसरा नं. 420 के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल में बताये अनुसार वैकल्पिक रास्ता कदीमी रास्ता के रूप में मार्क ए से बी मौजूद होने पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/03/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner